न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुरेन्द्र सिह पुरोहित (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 45 सन 2018

अनवान :–

1. राजु पुत्र नोरगराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल–

बनाम

1. कमला देवी पुत्री नन्दराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर
3 उप पंजीयक रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री हवासिह अधिवक्ता सायल

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल संख्या 1

निर्णय दिनांक :– 24/07/2018

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा सायल और गैरसायल की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 519/473 के प0न0 138/50(765) के किला न0 9/0.2530 ,11 ता 13/0.2530हैक , 18 ता 23/प्रत्येक 0.2530हैक प0न0 138/142 (766) किला न0 15 ता 18/प्रत्येक 0.2530हैक , 23/1 की 0.1640हैक ,24 ,25/0.506हैक ,कुल 1.6820हैक प0न0 138/43(800) किला न0 3/1 की 0.510हैक , 4/1 की 0.2150हैक , 5/.2530 ,6/1 की 0.2270 ,7/1 की 0.0510हैक 8/1 की 0.2020हैक 14/2 की 0. 1770हैक 15/2 की 0.0760हैक 16/2 की 0.1140हैक ,17/0.2530 ,24/1 की 0.2020हैक 25/2 की 0.1640हैक , कुल 1.9850हैक , प0न0 138/51(801) किला न0 1 ता 3 ,8 ता 10 प्रत्येक की 0.2530हैक 11/2 की 0.2400हैक , 12 ,13/0.506हैक ,19/0.2530हैक , 20/2 की 0.1520हैक कुल 0.1520हैक कुल किता 11 की 2.6690है कुल खसरा 40 की कुल 8.8660हैक सहखातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में सायल एवं गैरसायल न0 3 ता 5 का 50 हिस्सा , गैरसायल न0 1 का 50 हिस्सा , गैरसायल न0 2 का 50 हिस्सा , गैरसायल न0 6 का 30 हिस्सा , गैरसायल न0 7 का 207 हिस्सा , गैरसायल न0 8 का 87 हिस्सा , गैरसायल न0 9 का 64 हिस्सा , गैरसायल न0 10 ता 16 का 204 हिस्सा , गैरसायल न0 17 का 50 हिस्सा है।

सायल व गैरसायल का खाता व लगान मुश्तरका है जिससे लगान काश्त एवं सीव का झगडा रहता है इसलिये सायल अपने हक व हिस्सा की भूमि का भूमि की किस्म अनुसार अच्छी मे से अच्छी माडी में से माडी के अनुसार खाता व लगान व अलग से खाता कायम करवाने का अधिकारी है।

विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका है उसके बावजूद भी गैरसायल न0 1 के मन मे बेईमानी आ गई है एवं वह विवादित भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये अच्छ किस्म की भूमि को बेचान करना चाहता है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गैरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी है बिना खाता विभाजन करवाये गाद भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार

Scanned with CamScanner

से मुन्तकिल नही किया जावे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल न0 2 ,3 की ओर से नियमानुसार तामील उपस्थित आये एव गैरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में सायल एवं गैरसायल के नाम से मुश्तरका खाता में दर्ज है तथा बतौर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है रिकार्डेड सहखातेदार दर्ज होने के कारण गैरसायल को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है गैरसायल सहखातेदारी भूमि में से अच्छी किस्म की भूमि का बेचान करना चाहता है ना ही अपने हिस्से का बेचान करने का उद्देश्य रखता है। सायल गैरसायल के हक हिस्सा की भूमि को रहन /बैय करने के लिये पाबन्द करवाने के अधिकारी नही है ना ही प्रार्थना पत्र में जमाबन्दी में दर्ज सभी काश्तकारों को पक्षकार सयोजित नही होने के कारण खारिज योग्य है किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने से सायल को किसी प्रकार का नुकसान नही होता बल्कि गैरसायल को होता है अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सायल और गैरसायल की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 519/473 कुल खसरा 40 की कुल 8.8666हैक सहखातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में सायल एवं गैरसायल न0 3 ता 5 का 50 हिस्सा , गैरसायल न0 1 का 50 हिस्सा , गैरसायल न0 2 का 50 हिस्सा , गैरसायल न0 6 का 30 हिस्सा , गैरसायल न0 7 का 207 हिस्सा , गैरसायल न0 8 का 87 हिस्सा , गैरसायल न0 9 का 64 हिस्सा गैरसायल न0 10 ता 16 का 204 हिस्सा , गैरसायल न0 17 का 50 हिस्सा है।

सायल व गैरसायल का खाता व लगान मुश्तरका है जिससे लगान काश्त एवं सीव का झगडा रहता है इसलिये सायल अपने हक व हिस्सा की भूमि का भूमि की किस्म अनुसार अच्छी मे से अच्छी माडी में से माडी के अनुसार खाता व लगान व अलग से खाता कायम करवाने का अधिकारी है।

विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका है उसके बावजूद भी गैरसायल न0 1 के मन मे बेईमानी आ गई है एवं वह विवादित भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी किस्म की भूमि को बेचान करना चाहता है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गैरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी है बिना खाता विभाजन करवाये वाद भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही किया जावे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

वकील गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में सायल एवं गैरसायल के नाम से मुश्तरका खाता में दर्ज है तथा बतौर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है रिकार्डेड सहखातेदार दर्ज होने के कारण गैरसायल को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है गैरसायल सहखातेदारी भूमि में से अच्छी किस्म की भूमि का बेचान करना चाहता है ना ही अपने हिस्से का बेचान करने का उद्देश्य रखता है। सायल गैरसायल के हक हिस्सा की भूमि को रहन /बैय करने के लिये पाबन्द करवाने के अधिकारी नही है ना ही प्रार्थना पत्र में जमाबन्दी में दर्ज सभी काश्तकारों को पक्षकार सयोजित नही होने के कारण खारिज योग्य है किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने से सायल को किसी प्रकार का नुकसान नही होता बल्कि गैरसायल को होता है।

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायल का वाद भूमि किसी प्रकार से होगा प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि सायल एवं गैरसायल के नाम से सयुक्त खाता में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है अर्थात सायल व गैरसायल दोनो खातेदार काश्तकार दर्ज है प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल एवं गैरसायल दोनो के पक्ष में सामान रूप से सावित होता है।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में सभी सयूक्त खातेदार काश्तकारों को पक्षकार बनाया जाना चाहिये था किन्तु सायल ने केवल गैरसायल न0 1 को ही पक्षकार बनाया गया है अर्थात सयुक्त खाता में से केवल गैरसायल न0 1 को पावन्द करवाना चाहते है इसका कोई कारण सायल ने स्पष्ट नही किया गया है जबकि सभी काश्तकारों को पावन्द करवाने का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये था।

सायल का कथन है कि गैरसायल न0 1 अच्छी किस्म की भूमि बेचान करना चाहता है अस्वीकार योग्य नही है क्योकि वाद भूमि सयुक्त खाता में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसके कारण किस्म के अनुसार भूमि का बेचान किया ही नही जा सकता केवल सयुक्त खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा की भूमि का ही बेचान कर सकता है एवं सयुक्त खातेदार को उसके हिस्से की भूमि रहन /बैय करने हेतु पावन्द करने पर सायल को किसी प्रकार की क्षति नही होती है सयुक्त खातेदार काश्तकार को होती है अर्थात स्पष्ट रूप से गैरसायल को क्षति होगी मात्र सायल के मौखिक कथनों के आधार पर की गैरसायल भूमि बेचान करना चाहता है गैरसायल जो रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है को पावन्द किया जाना न्यायोचित नही है इसप्रकार सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु गैरसायल के पक्ष में पाया जाता है।

उरोक्त विवेचन अनुसार सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 16.05.2018 को रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 519/473 की 8.8660हैक भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/9/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

(सुरेन्द्र सिह पुरोहित)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ़)

क्रमांक / राजस्व / 2018 / 1018 दिनांक –

अनवान

1. रामु पुत्र नोरंगराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

सायल

बनाम

1. कमलादेवी पुत्री नन्दराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर ।

गैरसायल

आदेश बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट न्यायालय में पेश होने पर सायल को प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय सुना जाकर गैरसायल को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 519/473 की कुल 8.8660है. भूमि की की उभयपक्ष आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.07.2018 तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

इस सम्बध मे यदि गैरसायल को यदि कोई उज्र व एतराज हो तो इस न्यायालय मे आगामी तारीख पेशी को असालतन या वकालतनामा उपस्थित होकर वजह जाहिर करे अन्यथा क्यों ना यह आदेश ताफैसला दावा कन्फर्म कर दिया जावे । बाद मियाद गुजरने कोई उज्र एवं एतराज नही सुना जावेगा।

यह स्थगन आदेश आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
नोहर (हनुमानगढ़)

वास्ते तामिल
तहसीलदार नोहर